

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.4 (9) वित्त/राजस्व/2020

जयपुर, दिनांक 30.07.2020

आज्ञा

राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि सेवा नियम 1959 के नियम 24(ए) के उप नियम 11 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2020-21 की बैठक दिनांक 30.07.2020 की अभिशंषा पर राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग में स्थायी रूप से नियुक्त निम्नांकित सहायक निदेशकों को वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर चयन किये जाने के फलस्वरूप राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि सेवा में उप निदेशक के पद पर पे-मैट्रिक्स के लेवल-16 में कार्यभार संभालने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है:

क्र.स.	नाम अधिकारी	अजा/ अजजा	रिक्ति दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री त्रिलोक चन्द अग्रवाल		01.04.2020	(सेवानिवृत्ति तिथि 30.06.2020)
2.	श्री विनोद कुमार मिश्रा		01.04.2020	(सेवानिवृत्ति तिथि 31.08.2020)
3.	श्री कैलाश चन्द शर्मा		01.04.2020	(सेवानिवृत्ति तिथि 31.07.2020)
4.	श्री दिनेश बारोट		01.04.2020	
5.	सुश्री श्वेता तिवारी		01.04.2020	
6.	श्री महिपाल मोटासरा		01.04.2020	
7.	श्री कमलेश योगेश्वर		01.04.2020	
8.	श्री संदीप कुमार त्रिपाठी		01.04.2020	
9.	श्री गौरव कुमार		01.04.2020	
10.	श्री मोहम्मद रउफ		01.04.2020	
11.	श्रीमती निफिया चौधरी		01.04.2020	
12.	श्रीमती सुनीता मीणा	अजजा	01.04.2020	
13.	श्रीमती प्रियंका मेहरानिया	अजा	01.04.2020	
14.	सुश्री सुनीता कुमारी		01.04.2020	
15.	श्री जगदीश नारायण कुमावत		01.04.2020	(सेवानिवृत्ति तिथि 31.05.2020)


पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (Inter-Se-Seniority) यथावत रहेगी। पदोन्नति पर सभी लाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

उक्त अधिकारियों में से सेवारत अधिकारी पदोन्नति के उपरान्त अपने वर्तमान पद को अस्थायी रूप से यथा आवश्यकता क्रमोन्नत मानते हुये कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से
(वेद प्रकाश गुप्ता) 30/7/2020
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को उनके ई-मेल दिनांक 28.07.2020 कम में।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग राजस्थान, जयपुर।
8. तकनीकी निदेशक, (कम्प्यूटर) वित्त विभाग।
9. संबंधित अधिकारी।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


30/7/2020
संयुक्त शासन सचिव